न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/126/2025 दायर दिनांकः–28.08.2025 रजि0 न0 2025/331

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री बिलाल पुत्र श्री हरफान, नि. कांधला देहाल, नयी बस्ती, कांधला रूरल, जिला–शामली (उत्तरप्रदेश–247775)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 23.09.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 02.07.2025 के परिपेक्ष्य में सूचना आवेदन दिनांक 02.07.2025 के संबंध में किसी प्रकार की सूचना नही मिलने बाबत अभिकथन किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.09.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/1182 दिनांक 17.09.2025 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 02.07.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293490958920305 दिनांकः 09.07.2025 दर्ज रजिस्टर कर, आवेदन में वांछित सूचना इस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं होने के कारण, RTI Online Portal पत्र सं. 8859584285 दिनांक 10.07.2025 के माध्यम से मूल आवेदन, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अलवर, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, को अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अग्रेषित की गई है। इस प्रकार माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग जयपुर के द्वितीय अपील प्रकरण सं० RIC/ALWAR/A/2024/001131 निर्णय दिनांक 21.03.2024 एवं प्रकरण सं० अपील नं० RIC/ALWAR/A/2024/001132 निर्णय दिनांक 21.03.2024 बअनुवान मदनसिंह यादव बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अलवर में पारित निर्णय के आलोक में **अपीलार्थी के संज्ञान में जानकारी होने के बावजूद भी असंगत लोक प्राधिकारी के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।** इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर अपीलार्थी के सूचना आवेदन के संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इस परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी पोषणीय नहीं है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अलवर, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अलवर के स्तर पर अपेक्षित सूचना/जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है ।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा ऑनलाईन पत्र सं० 3473086535 दिनांक 29.07.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 023.09.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर